न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

Jodhpur225RTA2018-00241(2018-112) Durgaram Vs Ramrakh etc

दुर्गाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट
निवासी ग्राम साथीन, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. रामरख पुत्र भगाराम जाति जाट (मुन्दियाडा)
2. मंगलाराम पुत्र भगाराम जाति जाट (मुन्दियाडा)
3. गोरधनराम पुत्र भगाराम जाति जाट (मुन्दियाडा)
4. तेजाराम पुत्र भगाराम जाति जाट (मुन्दियाडा)
5. बाबुराम पुत्र भगाराम के कायममुकामान--
   5.1. श्रीमती सीतादेवी पत्नी बाबूराम जाति जाट (मुन्दियाडा)
   5.2. महेश पुत्र बाबूराम जाति जाट (मुन्दियाडा)
   5.3. पुनित पुत्र बाबूराम जाति जाट (मुन्दियाडा)
   5.4. निकिता पुत्री बाबूराम जाति जाट (मुन्दियाडा)
   समस्त निवासीगण ग्राम साथीन,
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर दिनांक 08 जून 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 749/2017 दुर्गाराम बनाम रामरख इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री रामकरण खोजा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 18 नवम्बर, 2021

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 749/2017 दुर्गाराम बनाम रामरख इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 जून 2018 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 जुलाई 2018 को पेश की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-प्रार्थी दुर्गाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर ग्राम साथीन चक प्रथम की राजस्व सीमा में स्वयं की खातेदारी के खसरा संख्या 474 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा बारानी प्रथम तक आवागमन हेतु पीढियों से एकमात्र 15फीट चौडा परम्परागत कटाणी रास्ता प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अ-ब-स-द के मध्य दर्शाये अनुसार आराजी खसरा संख्या 472 की पश्चिम सीमा में स्थित होना जाहिर करते हुए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया और इस हेतु नियमानुसार अप्रार्थीगण-रेस्पो. को देय धनराशि का भुगतान करने हेतु प्रार्थी-अपीलाण्ट ने तत्पर होना भी जाहिर किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 08 मार्च 2016 को प्रकरण संख्या 48/2016 के तौर पर दर्ज किया गया और मौका रिपोर्ट प्राप्त होने तथा अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 22 मार्च 2017 को आदेश पारित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 29/2017 में निर्णय दिनांक 16 मई 2017 पारित कर अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विशेष दो बिन्दुओं का निर्धारण करने के निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया। अदालत हाजा के उक्त निर्णय की अनुपालना में प्रकरण पुनः (बतौर प्रकरण संख्या 749/2017) दर्ज किया जाकर कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 जून 2018 के जरिये उक्त प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु एक मात्र परम्परागत रास्ता है जिसका उपयोग अपीलाण्ट द्वारा पीढियों से किया जा रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 08 मार्च 2016 को प्रकरण संख्या 48/2016 के तौर पर दर्ज किया गया और मौका रिपोर्ट प्राप्त होने तथा अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 22 मार्च 2017 को प्रार्थी-अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अदालत हाजा के उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज किया जाकर जरिये अपीलाधीन आदेश प्रार्थी-अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र सुखाधिकार का मामला मानकर खारिज किया है, जबकि वादग्रस्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज नहीं है, इसलिए यह मामला सुखाधिकार से संबंधित रास्ता नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 22 मार्च 2017 की पालना करते हुए सभी रेस्पो. के पक्ष में अलग-अलग डिमाण्ड ड्राफ्टस कुल राशि रूपये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17160/- अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये थे, बाद प्रस्तुतीकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालनार्थ तहसीलदार पीपाडशहर को भिजवा दिये, किन्तु इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थी-अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं होने से अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा पूर्व में अपील संख्या 29/2017 में निर्णय दिनांक 16 मई 2017 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए यह भी निर्देश दिया गया कि पक्षकारान की सुनवाई कर क्षेत्राधिकार तथा वैकल्पिक रास्ते के संबंध में भी समुचित एवं तर्कसंगत मत व्यक्त करते हुए विनिश्चय कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि क्षेत्राधिकार का बिन्दु प्लीडिंग्स के आधार पर विनिश्चित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र खारिज किया है। स्वयं प्रार्थी-अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थनापत्र में पेरा 2 में परम्परागत रास्ता खसरा संख्या 372 की पश्चिमी सीमा पर नजरी नक्शा के अनुसार होना जाहिर करते हुए पेरा 3 में दिनांक 06 मार्च 2016 को उक्त रास्ता अप्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा बन्द कर दिया जाना एवं वादग्रस्त रास्ता आवागमन हेतु पीढियों से उपयोग व उपभोग में लेने से प्रार्थी को वादग्रस्त रास्ता बाबत सुखाधिकार प्राप्त होना वर्णित किया है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 10 फरवरी 2017 के अनुसार वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 476/1 आबादी में उपलब्ध है। इसके अलावा अमरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति जाट तथा अपीलाण्ट के मध्य निष्पादित इकरारनामा दिनांक 02 अप्रेल 2019 के अनुसार खसरा संख्या 474 में आवागमन हेतु अमरसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की खातेदारी एवं कब्जा-काश्त की भूमि खसरा संख्या 470, 470/1 में से पूरब की माठ के सहारे-सहारे 12 फीट चौडाई की भूमि के विनिमय में अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 474 में से पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे 27 फीट चौडाई की भूमि अमरसिंह को दी है। उक्त इकरारनामा की छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अब अपनी खातेदारी के खेत में आवागमन हेतु अन्य किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं रही है। अतः अपील सारहीन होने के कारण तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत लिखित बहस का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अमरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति जाट तथा अपीलाण्ट के मध्य निष्पादित **इकरारनामा दिनांक 02 अप्रेल 2019** की अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत छाया-प्रति के अनुसार **खसरा संख्या 474 में आवागमन हेतु अमरसिंह की खातेदारी एवं कब्जा-काश्त की भूमि खसरा संख्या 470, 470/1 में से पूरब की माठ के सहारे-सहारे 12 फीट चौडाई की भूमि के विनिमय में अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 474 में से पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे 27 फीट चौडाई की भूमि अमरसिंह को दी है।** अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने इसका किसी ठोस आधार पर कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा अधिवक्ता-रेस्पो. के इस कथन से सहमत है कि **अपीलाण्ट को अब अपनी खातेदारी के खेत में आवागमन हेतु प्रश्नगत रास्ते की आवश्यकता ही नहीं रही है क्योंकि उसने रास्ते की व्यवस्था उक्त इकरारनामा के मार्फत अब कर ली है।**

फलतः अपील सारहीन एवं निरर्थक हो जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 749/2017 दुर्गाराम बनाम रामरख इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 जून 2018 यथावत रखा जाता है। साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा यदि कोई प्रतिकर राशि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 48/2016 दुर्गाराम बनाम रामरख इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 मार्च 2017 के अनुसरण में रेस्पो. को दिये जाने हेतु जमा कराई हो तो, वह उसे **पुनः प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।**

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर